

भारत-पाक सीमा से सटे राज्यों आज माँक ड्रिल

सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा हेतु अभ्यास

नई दिल्ली, २८ मई २०२५: भारत सरकार ने २९ मई को पाकिस्तान से सटे चार राज्यों-गुजरात, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान-में नागरिक सुरक्षा माँक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास हाल ही में संपन्न 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा और नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हालांकि, राजस्थान और गुजरात में यह माँक ड्रिल प्रशासनिक कारणों

से स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि नई तारीखों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। माँक ड्रिल के मुख्य बिंदु: सायरन बजाकर हवाई हमलों की चेतावनी प्रणाली का परीक्षण। ब्लैक आउट अभ्यास, जहां नागरिकों को निर्धारित समय पर लाइट्स बंद करने के निर्देश दिए जाएंगे। आपातकालीन निकासी योजनाओं का अभ्यास, जिसमें नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया शामिल होगी।

स्वयंसेवकों और नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण। पृष्ठभूमि: यह माँक ड्रिल ७ मई को आयोजित 'ऑपरेशन अभ्यास' के बाद दूसरी बड़ी नागरिक सुरक्षा कवायद है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। नागरिकों से अनुरोध:

संबंधित राज्यों के नागरिकों से अनुरोध है कि वे माँक ड्रिल के दौरान प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। यह अभ्यास नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। संपर्क सूत्र: अधिक जानकारी और निर्देशों के लिए नागरिक अपने स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों या नागरिक सुरक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

मक्का में हुवा पैदल चलने वालों के लिए थंडी सड़क का निर्माण

रिपोर्ट: डॉ. रफीक काजी

मक्का- परिवहन और रसद सेवा मंत्री। इजिनियर सालेह अल-जस्सर, जो रोड्स जनरल अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, ने मक्का में एक शीत पैदल यात्री पैदल मार्ग परियोजना शुरू की है, इसे विकलांग लोगों के लिए पहुंच बढ़ाने और आगंतुकों के आराम में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पैदल मार्ग किंगडम की व्यापक कूल रोड्स पहल का हिस्सा है, जो २०२३ में लॉन्च होने के बाद से ८२% बढ़ गया है। अरफात में ८४,००० वर्ग मीटर से अधिक सड़कों को अब स्थानीय रूप से पुनर्नवीनीकरण सामग्री के साथ पक्का किया गया है जो ४०% अधिक सूरज की रोशनी को दर्शाता है और सतह के तापमान को लगभग १२ डिग्री सेल्सियस तक कम करता है। जो शहरी गर्मी को कम करने और ऊर्जा की खपत और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। एक प्रमुख जोड़ अरफात पर्वत की ओर जाने वाला ४,००० मीटर का सुलभ लंबी पैदल यात्रा का मार्ग है, जिसे कंपनी को कम करने और विकलांग लोगों और उनके साथियों के लिए गतिशीलता बढ़ाने के लिए एक ठंडी मंजिल के साथ बनाया गया है।

परियोजना में लचीली रबर डामर सतह भी शामिल है, जो ३३% बढ़ गई है और अब १६,००० वर्ग मीटर की कवर करती है। नामिरा मस्जिद और अरफात ट्रेन स्टेशन के बीच पैदल चलने वाले क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली इन सतहों के प्रभाव को नरम करने और अधिक आराम प्रदान करने के लिए खासकर बुजुर्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सड़क अनुसंधान केंद्र का शोध खरबों सामग्रियों की बेहतरीन सुरक्षा और उपयोग की पुष्टि करता है। इस पहल में एक हरित गलियारा है जिसमें १,२०० मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए गए हैं। और इसमें एयर कूलिंग मिस्ट सिस्टम और पानी के फव्वारे शामिल हैं, जो अक्टूबर महान फकीह चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से बनाए गए हैं। सऊदी अरब का रोड्स जनरल अथॉरिटी सड़क बुनियादी ढांचे में नवाचारों को लागू करना जारी रखता है क्योंकि यह २०३० तक सड़क की गुणवत्ता में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर रहने और सड़क दुर्घटनाओं को प्रति १००,००० निवासियों पर पांच से कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यह राज्य वर्तमान में इंटरसिटी सड़क संपर्क में विश्व में अग्रणी है। नेटवर्क की कुल लंबाई ७३,००० किलोमीटर से अधिक है।

पुलिस की लापरवाही से बीड में 'अरेबियन ज्वेलर्स' ने किया करोड़ों का फर्जीवाड़ा, फरार हुआ संचालक: प्रा. सचिन उबाळे का आरोप

बीड (प्रतिनिधि): बीड शहर में मल्टीस्टेट और पतसंस्थाओं के घोटालों के बीच एक और बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अरेबियन ज्वेलर्स नामक संस्थान द्वारा आम नागरिकों को लालच देकर लूटने का सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था, जिसकी लिखित जानकारी २३ अक्टूबर २०२४ को बीड शहर पुलिस थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी गई थी। स्वाभिमान संघटना के जिल्हा प्रमुख एवं डेवीदार संघर्ष कृती समिती (महाराष्ट्र राज्य) के मुख्य प्रवर्तक प्रा. सचिन उबाळे ने आरोप लगाया है कि पुलिस की घोर लापरवाही और उदासीनता के चलते आज अरेबियन ज्वेलर्स का संचालक बीड से फरार हो गया है। प्रा. उबाळे ने बताया कि बीड शहर के कारंजा रोड क्षेत्र में अरेबियन ज्वेलर्स द्वारा अवैध लॉटरी कूपन की बिक्री की जा रही थी और आम नागरिकों को गाड़ियाँ, सोना जैसे बड़े इनामों का झांसा देकर आर्थिक धोखाधड़ी की जा रही थी। मेहबूब रहमान मलिक, जो अरेबियन ज्वेलर्स का संचालक है, उसने कई फर्जी योजनाओं के माध्यम से निवेश कराने के बहाने लोगों से बड़ी रकम पेंटी। यह सारा कारोबार पुलिस की नजरों के सामने एक वर्ष तक चलता रहा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रा. उबाळे ने कहा कि उन्होंने स्वयं नागरिकों को इस फर्जीवाड़े से सावधान रहने की सार्वजनिक अपील की थी और पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से शिकायत दी थी, लेकिन इस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। आज जब संचालक फरार हो गया है, तब यह स्पष्ट हो गया है कि यदि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती, तो बीड के नागरिकों को इस आर्थिक धोखाधड़ी से बचाया जा सकता था। प्रा. उबाळे ने मांग की है कि अब इस मामले में त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पुलिस की लापरवाही की भी उच्चस्तरीय जांच हो।

कर्नाटक में बीजेपी एमएलसी एन रविकुमार के विवादित बयान पर बवाल, डीसी फौजिया तरत्रुम को 'पाकिस्तानी' कहने पर एफआईआर दर्ज

बेंगलुरु, २८ मई २०२५ - कर्नाटक में भाजपा के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) और विपक्ष के मुख्य सचेतक एन रविकुमार द्वारा कलबुर्गी की उपायुक्त (डीसी) फौजिया तरत्रुम को 'पाकिस्तानी' कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस टिप्पणी के खिलाफ कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रविकुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वह पाकिस्तान से आई हैं या... इस टिप्पणी को लेकर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और विभिन्न वर्गों में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए फौजिया तरत्रुम के साथ एकजुटता दिखाई है। इस विवाद के बीच, यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ किया जा सके।

भाजपा के पूर्व विधायक आर.टी. देशमुख पंचतत्व में विलीन, परळी में राजकीय श्रद्धांजलि के साथ अंतिम संस्कार

परळी, २८ मई (प्रतिनिधि): माजलगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के कट्टर समर्थक आर.टी. देशमुख का अंतिम संस्कार आज परळी वैजनाथ स्थित तहसील कार्यालय के पीछे उनके निवासस्थान के पास पूरे राजकीय सम्मान और अश्रुपूर्जित वातावरण में किया गया। हजारों लोगों की उपस्थिति में बुधवार सुबह ११ बजे उर्द अंतिम विदाई दी गई। माजलगांव और परळी वैजनाथ विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नेता, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक अंतिम दर्शन हेतु उपस्थित रहे। सुबह १०:४५ बजे अंतिम यात्रा निकाली गई जो ११ बजे रमशान स्थल पहुंची। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से पशुपालन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ सांसद बजरंग सोनवणे, सांसद ओमराजे निंबाळकर, विधायक राजेश विटेकर, डॉ. रत्नाकर गुडे, राजश्री धनंजय मुंडे, अक्षय मुंदड़ा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित रहे। आर.टी. देशमुख के निधन से माजलगांव और परळी क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है।



इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से पशुपालन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ सांसद बजरंग सोनवणे, सांसद ओमराजे निंबाळकर, विधायक राजेश विटेकर, डॉ. रत्नाकर गुडे, राजश्री धनंजय मुंडे, अक्षय मुंदड़ा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित रहे। आर.टी. देशमुख के निधन से माजलगांव और परळी क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है।

हज कमेटी के कोचिंग इंस्टिट्यूट फिर से होंगे शुरू, अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा लाभ-सलीम जहांगीर

बीड (प्रतिनिधि): केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हज कमेटी के बंद पड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के इस निर्णय का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सलीम जहांगीर ने उनका आभार व्यक्त किया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुंबई स्थित हज हाउस रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टिट्यूट (क्वार्टर) में सिविल सेवा परीक्षा २०२६ (प्रारंभिक व मुख्य) के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इस संबंध में २२ मई को एक अधिसूचना जारी करते हुए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। अब जब केंद्र सरकार ने इस कोचिंग सेंटर को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है, तो इसे मुस्लिम समाज के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्यधारा में लाने का एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। इस बार चयनित विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रवेश परीक्षा १३ जुलाई २०२५ को देशभर के २१ केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कुल १०० उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें से ८०% सीटें मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए और २०% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी।

इस बार चयनित विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रवेश परीक्षा १३ जुलाई २०२५ को देशभर के २१ केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कुल १०० उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें से ८०% सीटें मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए और २०% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी।



जिल्हा हिलाल कमेटी बीड ने किया ऐलान - २९ मई को पहला जिलहज, ६ जून को अरफा और ७ जून २०२५ को हेगी ईद-उल-अज़हा

बीड, २८ मई २०२५: रूयत-ए-हिलाल कमेटी व दारुल इफ्ता बीड की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार आज दिनांक २८ मई २०२५ को यानी २९ ज़ी-कादा १४४६ हिजरी को मग़रिब की नमाज़ के बाद चाँद देखने का एहतताम किया गया। हिलाल कमेटी बीड की निगरानी में चाँद नजर आ गया है। इस घोषणा के अनुसार २९ मई २०२५, गुरुवार को माहे ज़िलहज १४४६ हिजरी का पहला दिन (१ ज़िलहज) होगा। इसके अनुसार ६ जून २०२५, शुक्रवार को यौम-ए-अरफा (हज का दिन) मनाया जाएगा और ७ जून २०२५, शनिवार को ईद-उल-अज़हा (बकरीद) अदा की जाएगी। यह घोषणा बीड की हिलाल कमेटी और दारुल इफ्ता की जानिब से की गई है।

गोवंश हत्या पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी, मुस्लिम समाज बकरीद पर देगा बकरों की कुर्बानी-जे.डी. शाह



बीड: महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोवंश हत्या पर प्रतिबंध के बाद अब यदि किसी ने गोवंश की हत्या की तो उस पर कड़े मकोका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय का सीधा असर मुस्लिम समाज के बकरीद पर्व पर पड़ने वाला है, जो जून माह में मनाया जाएगा। इस्लाम धर्म के अनुसार ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दिन नमाज के बाद जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन गोवंश हत्या पर प्रतिबंध के चलते अब मुस्लिम समाज की ओर से बकरों की कुर्बानी का झुकाव अधिक देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इसका असर किसानों की आमदनी पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदेश जारी करते हुए कहा है

कि गोवंश की हत्या करने वालों पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय के बाद बीड जिले सहित विभिन्न स्थानों के पशु बाजारों में बकरों की खरीदारी के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वरिष्ठ समाजसेवक जे.डी. शाह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे बकरों की कुर्बानी करें और गोवंश की खरीद से बचें, क्योंकि अब इसके कारण सजा, जुर्माना और पुलिस कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। प्रेस नोट में कहा गया है कि गोवंश हत्या पर बने कानून का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई जानबूझकर गोवंश खरीदता या काटता है तो उसे मकोका के तहत ५ से ६ साल की सजा या आजीवन कारावास तक हो सकता है। इस कानून के तहत ज़मानत भी नहीं मिलेगी। पुलिस घर तक पहुंच सकती है, जानवर जब्त किए जा सकते हैं और लाखों रुपये

रिश्वत में खर्च हो सकते हैं, बावजूद इसके कोई राहत नहीं मिलेगी। जे.डी. शाह ने आगे कहा कि यदि कोई किसान जबरन गाय या बैल देने की कोशिश करे तो तत्काल इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। उन्होंने सुझाव दिया कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरी, भेड़ा, दुम्बा या बकरा जैसे वैकल्पिक जानवरों का उपयोग किया जाए। बाजारों से मिली जानकारी के अनुसार इस समय बकरों की कीमतें १०,००० से लेकर १५,००० रुपये तक पहुंच गई हैं। गावदान, सोजात, जमना पारी, वंडम, जीन्स जैसी विभिन्न नस्लों के बकरों की बिक्री हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि राज्य में गोवंश हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, इसके बावजूद सीमावर्ती राज्यों तेलंगाना और कर्नाटक से गोवंश की तस्करी

हो रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि ७ जून २०२५ को बकरीद के अवसर पर राज्य में बड़े पैमाने पर गोवंश की हत्या हो सकती है। अतः उन्होंने इस पर सख्त रोक लगाने और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पुलिस महानिदेशक ने इस पर अमल करते हुए ४ मार्च २०१५ को जारी महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ (संशोधित १९९५) और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट १९६० के तहत सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अंत में जे.डी. शाह ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे अन्य धर्मों का सम्मान करते हुए, कानून का पालन करते हुए बकरों की कुर्बानी करें और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।



धार्मिक एकता के लिए समस्त जातियों को संगठित करने का कार्य सावरकर ने किया-डॉ. सारिका क्षीरसागर



बीड (प्रतिनिधि), २८ मई: हिंदू समाज की धार्मिक एकता के लिए सबसे पहले सभी जातियों को एकत्र आना आवश्यक है। सभी को समान व्यवहार और न्याय मिलना चाहिए – यही विचार लेकर स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर ने विविध कार्यों के माध्यम से सामाजिक एकता स्थापित की थी। उन्होंने कभी भी किसी धर्म से द्वेष नहीं किया, ऐसा प्रतिपादन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता डॉ. सारिका क्षीरसागर ने किया। यह वक्तव्य उन्होंने बीड शहर के जवाहर कॉलोनी स्थित सावरकर की प्रतिमा के समक्ष आयोजित १४२वीं जयंती समारोह में दिया। यह कार्यक्रम वीर सावरकर सामाजिक प्रतिष्ठान की

ओर से आयोजित किया गया था। डॉ. सारिका क्षीरसागर ने आगे कहा कि सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और कालापानी जैसे कठोर दंड सहन किए, लेकिन देशभक्ति और सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि वे सावरकर के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगी। इसी अवसर पर उन्होंने सावरकर प्रतिमा परिसर में एक सुसज्जित ग्रंथालय और भव्य भागवा ध्वज स्थापित करने की योजना भी घोषित की। इस कार्यक्रम में प्रा. चंद्रकांत मुले, डॉ. लक्ष्मीकांत बाहेगव्हाणकर, भाजपा

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सलीम जहाँगीर, भाजपा बीड शहराध्यक्ष अशोक लोढा, शिवसेना के नितीन धांडे, गिरीश देशपांडे, डॉ. पी.के. कुलकर्णी, ड. उद्धव रासकर और पत्रकार प्रमोद कुलकर्णी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने सावरकर के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का प्रास्ताविक डॉ. अजिंक्य पांडव ने किया और आभार महेश वाघमारे ने माना। उपस्थित नागरिकों ने सावरकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहने वालों में ड. मिलिंद वाधिरकर, माजी प्राचार्य विजेंद्र चौधरी, डॉ. गणेश आडगांवकर, ड. प्रशांत देशपांडे, ड. अमित हसेगावकर, ड. जितेंद्र पांडव,

संतोष चिंचोलकर, त्रिंबक देशपांडे, डॉ. मनोज पोहणेकर, संतोष पारगावकर, डॉ. स्वप्नील उन्हाळे, वल्लभ गोडबोले, दीपक रुपदे, ड. आनंद पाटील, डॉ. राजेश भुसारी, संदीप खडकिकर, विजय कोटुळे, गंगाधरराव देशमुख, राम कुलकर्णी, मिलिंद शिवगिणकर, डॉ. विनोद मुळे, एकनाथ टेपाले, हेमंत जोशी, राहुल भालेराव, ड. नरेंद्र जवळेकर, मुकुंद कुलकर्णी, अभिजित वैद्य, प्रसाद अंदुरकर, सुनील देशमुख, संजय डोळे, प्रकाश गोरकर, डॉ. छत्रपति वैराग, नरेंद्र देशपांडे, रत्नाकर कुलकर्णी, विनायक कुलकर्णी, प्रकाश चैतन्य, वैभव देशमुख, सुनील खजानदार, संतोष जोशी सहित सावरकर प्रेमी नागरिक उपस्थित थे।

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट-उ संयुक्त पूर्व परीक्षा: बीड में १२ उपकेंद्रों पर ३४३० परीक्षार्थी होंगे शामिल

बीड, २८ मई (जि.प्र.वि.): महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (चझडउ) द्वारा आयोजित गट-उ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ का आयोजन आगामी १ जून २०२५ को किया जाएगा। यह परीक्षा बीड जिले के कुल १२ उपकेंद्रों पर सुबह ११:०० बजे से दोपहर १२:०० बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल ३४३० परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुल २४६ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें १२ उपकेंद्र प्रमुख, १२ सहाय्यक, ५३ पर्यवेक्षक और १६९ समवेक्षक शामिल हैं। सभी नियुक्त कर्मियों को २६ मई २०२५ को बीड जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन सभागृह में निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा केंद्र प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परीक्षा केंद्र के १०० मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित घटना से बचने हेतु परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के १०० मीटर परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ की धारा १६३ के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर

प्रतिबंध, लेकिन खाने-पीने की छूट। आयोग के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अध्ययन सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, उम्मीदवारों को खाने का डिब्बा, हल्का नाश्ता और पानी की बोतल साथ लाने की अनुमति दी गई है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को केवल आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक परीक्षा सामग्री साथ रखने की अनुमति होगी। साथ ही, सभी परीक्षार्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, पासपोर्ट या स्मार्ट कार्ड प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से किसी एक वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से लानी होगी। निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा केंद्र प्रमुख शिवकुमार स्वामी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा उपकेंद्र पर सुबह ०८:३० बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। सुबह ०९:३० बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई की बीड जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन

अनिकेत लोहिया अध्यक्ष, दाडू लोमटे उपाध्यक्ष और डॉ. नरेंद्र काळे फिर से बने सचिव



बीड, महाराष्ट्र: यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई के विश्वस्त मंडल की १२ मार्च २०२५ को हुई बैठक में बीड जिला केंद्र की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर उसे स्वीकृति प्रदान की गई। सेंटर के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद शरदचंद्र पवार हैं, जबकि कार्याध्यक्ष की भूमिका सांसद सुप्रिया सुळे निभा रही हैं। बीड जिले के लिए गठित इस नई कार्यकारिणी में विभिन्न क्षेत्रों से अनुभवी व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो जिले में सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। नवगठित कार्यकारिणी में अनिकेत लोहिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे मानवलोक संस्था के कार्यवाहक हैं और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। दाडू लोमटे को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। वे यशवंतराव चव्हाण स्मृति समारोह समिति के सचिव हैं और सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए संगठनात्मक अनुभव के माध्यम से सेंटर के कार्यों में योगदान दे रहे हैं। डॉ. नरेंद्र काळे को सचिव के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। वे शिक्षा, सामाजिक सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में अनुभवी हैं। अब वे सेंटर के दैनिक संचालन, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। अभिजीत जोंधळे को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

वे वाचन चळवळी (पठन आंदोलन) में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों में शामिल हैं: बीड की पूर्व विधायक सौ. उषाताई दराडे वरिष्ठ पत्रकार श्री. अतुल कुलकर्णी पाटोदा तालुका की वन्यजीव कार्यकर्ता सौ. सृष्टी सिद्धार्थ सोनवणे तेलगांव के डॉ. अमोल लगड गेवराई तालुका की सौ. प्रीती गर्ज, जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी कार्यकारिणी से जुड़े हैं, जिनमें शामिल हैं: प्राचार्य विवेक मिरगणे (बीड) सामाजिक कार्यकर्ता श्री. दीपक नागरगोत्रे, डॉ. काजी महेजबीन फारुकी वे सभी विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सेंटर के लिए एक विशेष सलाहकार समिति भी गठित की गई है, जिसमें शामिल हैं: डॉ. सुरेश खुरसाळे प्राचार्य डॉ. वसंत सानप कृषिभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री. बाबासाहेब पिशोरे यह समिति सेंटर द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को दिशा देने का कार्य करेगी। यशवंतराव चव्हाण सेंटर के माध्यम से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, दिव्यांग सहायता, कृषि, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा।

दरगाह नासर जंग इनामी जमीन प्रकरण की एस.आई.टी. से जांच कराई जाए,

अन्यथा करेंगे लोकतांत्रिक आंदोलन-सैयद सलीम बापू

बीड / प्रतिनिधि : परली स्थित ऐतिहासिक दरगाह नासर जंग देवस्थान की इनामी जमीन से संबंधित मामले में एस.आई.टी. (विशेष जांच टीम) द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग तहरीक-ए-इनाम फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सैयद सलीम बापू ने की है। जानकारी के अनुसार, परली तालुका (जिला बीड) के मौजे शिवार स्थित सर्वे नंबर ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, २४०, २५९, ३०३, ३०४, ३८८, ३९५, ३९८ और ३९९ की जमीन दरगाह नासर जंग देवस्थान की खिदमत माशा इनामी जमीन है। इन सभी सर्वे नंबरों में खुलेआम अवैध रूप से खरीद-फरोख्त की गई है। सैयद सलीम बापू का आरोप है कि इस प्रक्रिया में तलाठी, तहसीलदार, उप-पंजीयक, परली नगर परिषद और भूमि अभिलेख कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत है, जिन्होंने गलत सर्वे कर पी.टी.आर. और पी.आर. कार्ड भी जारी कर दिए। यह पूरी संपत्ति ऐतिहासिक दरगाह की खिदमत

इनामी जमीन है, लेकिन इन जमीनों पर अतिक्रमण कर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य भी किया गया है। इस संबंध में संबंधित कार्यालयों को बार-बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी ने भी इसकी गंभीरता से दखल नहीं ली और अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सैयद सलीम बापू ने मांग की है कि इस पूरे मामले की एस.आई.टी. से जांच कराई जाए और दोषियों पर वक्फ अधिनियम १९९५ की धारा ५२(१)(अ) के तहत उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई, तो ३० मई, शुक्रवार को सुबह ११ बजे बीड स्थित जिला वक्फ बोर्ड कार्यालय के सामने तहरीक-ए-इनाम फाउंडेशन की ओर से लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी सैयद सलीम बापू ने जिला वक्फ कार्यालय बीड और जिलाधिकारी कार्यालय बीड को दिए गए अपने लिखित निवेदन में दी है।



सतपुडा के लाल को मिला शाही सम्मान

मौलाना कारी शफीक सैय्यद को २०२५ हज के लिए सऊदी अरब सरकार की ओर से शाही मेहमान बनने का गौरव

जलगांव(अकील खान ब्यावली) सतपुडा की वादियों में बसे छोटे से गांव मारुल (जिला जलगांव) से निकले एक सच्चे दीनी खिदमतगार,मौलाना कारी शफीक सैय्यद शहीद साहब को सऊदी अरब सरकार द्वारा हज २०२५ के अवसर पर शाही मेहमान (ट्रेशर ब्रिड्जींग) के तौर पर आमंत्रित किया गया है. यह न केवल मौलाना साहब के लिए बल्कि सम्पूर्ण महाराष्ट्र और भारत के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है.मौलाना शफीक सैय्यद इस समय अक्कलकुवा स्थित प्रतिष्ठित मद्रसे में धर्म शिक्षक हैं और एक अनुभवी धर्मगुरु के रूप में लंबे अरसे से दीनी सेवाएं अंजाम दे रहे हैं. उनके व्यक्तित्व में समर्पण,तालीम,और सादगी की एक झलक मिलती है,जो उन्हें आम से खास बनाती है एक छोटे से कस्बे से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का शाही सम्मान प्राप्त करना मौलाना साहब की मेहनत, लगन और अझाह पर विश्वास का नतीजा है. यह सम्मान नई पीढ़ी के लिए एक रौशन मिसाल है कि अगर नीयत साफ हो और इरादा मजबूत, तो कोई भी बुलंदी हासिल की जा सकती है.



इस वर्ष विशेष बात यह भी है कि महाराष्ट्र राज्य से कुल २५ चुनिंदा धर्मगुरुओं को भी इस मुबारक हज यात्रा में शरीक होने का अवसर मिला है, जो अपने आप में अझाह की एक बड़ी इनायत है.इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम नाम सामने आता है जनाब मोहम्मद वसीम साहब,जो बतौर हज ट्रेनर हाजियों को हज के अरकान की शुद्ध एवं विधिपूर्वक अदायगी हेतु प्रशिक्षण देते हैं. उनकी मेहनत,अनुभव और मार्गदर्शन ने इस पवित्र यात्रा को हाजियों के लिए सहज और अर्थपूर्ण बना दिया है मारुल गांव सहित पूरे अक्कलकुवा क्षेत्र में मौलाना साहब के इस चयन की खबर फैलते ही खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई है.मस्जिदों और मद्रसों में मुबारकबाद दी जा रही है और उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी है यह एक यादगार और प्रेरणादायक घड़ी है.हम अझाह तअल्ला से दुआ करते हैं कि मौलाना कारी शफीक सैय्यद साहब का यह हज मकबूल हो, और वे हमेशा इसी तरह दीन की खिदमत करते रहें,और हमारी आने वाली नस्लें भी उनसे प्रेरणा लेती रहे.

ठाकरे गुट ने मुंबईकरों के साथ किया १ लाख करोड़ का घोटाला:

आशिष शेलार का आरोप

रिपोर्ट: जमीर काजी, मुंबई मुंबई, २९ मई: पिछले २० वर्षों में मुंबई महानगरपालिका द्वारा नालेसफाई, मीठी नदी की सफाई, बाढ़ नियंत्रण, नाले निर्माण और ब्रिमस्टोवंड परियोजनाओं पर करीब १ लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए, फिर भी मुंबई की स्थिति में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? इसका जवाब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को देना चाहिए। यह मुंबईकरों के साथ एक बड़ा धोखा है, ऐसा गंभीर आरोप मुंबई उपनगर के पालकमंत्री एवं भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार ने बुधवार को लगाया। मुंबई में बारिश से उत्पन्न हुई जलजमाव की स्थिति को लेकर आशिष शेलार के नेतृत्व में भाजपा के एक शिष्टमंडल ने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीते २० वर्षों में मुंबई में हुए कार्यों और खर्च की श्वेतपत्रिका जारी करने की जोरदार मांग की। शेलार ने कहा कि महापालिका के बीते २० वर्षों के लगभग ८० लाख करोड़ के बजट में से यदि ४०% राशि विकास कार्यों में गई हो, तो उसमें से भी १०% यानी करीब १ लाख करोड़ रुपये नालेसफाई, मीठी नदी और ब्रिमस्टोवंड पर खर्च किए गए। फिर भी स्थिति जस की तस है। इसका हिसाब ठाकरे पिता-पुत्र को देना चाहिए, फिर वे भाजपा से बीते तीन वर्षों का हिसाब मांगें। मानसून पूर्व कार्यों की समीक्षा के तहत शेलार ने हाल ही में नालेसफाई और सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। उन्होंने प्रोटोकॉल से हटकर पूर्व नगरसेवकों का शिष्टमंडल लेकर स्वयं महापालिका मुख्यालय में आयुक्त से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल में प्रभाकर शिंदे, विनोद मिश्रा, रवी राजा, कमलेश यादव, रीटा मकवाना, प्रकाश गंगाधरे, आशा मराठे, हर्षिता नावेंकर, रोहिदास लोखंडे सहित अन्य शामिल थे। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी मीठी नदी परियोजना शेलार ने सवाल उठाया कि मीठी नदी से कितना गाद निकाला गया, वह कहाँ डाला गया, और इस पर कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी मुंबईकरों को दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में मृत व्यक्तियों के नाम पर ठेके दिए गए और जिन स्थानों पर गाद डाली गई, वहाँ की ग्रामपंचायतों ने ऐसी किसी गतिविधि से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच में कई घोटाले उजागर हो रहे हैं। उपनगरों की धोकादायक इमारतें और दारवाले क्षेत्र भी चिंता का विषय शेलार ने बताया कि उपनगर के ८२ में से ४७ स्थानों को दारार संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें से ९ फुट ऊंची दारारों पर चक्क-ऊँ द्वारा सुरक्षा जाल लगाए जाते हैं, लेकिन इससे ऊंची दारारों पर कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था, जिसके पास निधि की कमी के कारण कार्य नहीं हो सका। उन्होंने सुझाव दिया कि महापालिका को आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि सुरक्षा कार्य तुरंत शुरू हो सकें।पंप फेल, ठेके में शर्तों में बदलाव का आरोप शेलार ने यह भी बताया कि ब्रिटानिया पंपिंग स्टेशन लगभग फेल हो गया है, जिससे दक्षिण मुंबई में जलजमाव हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ठेका –एथ नामक मनपसंद कंपनी को दिलाने के लिए उस समय उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने शर्तों में बदलाव किया था। महत्वपूर्ण तकनीकी शर्तों में किस प्रकार से बदलाव कर कंपनी को लाभ पहुँचाया गया, इसकी सच्चाई आयुक्त को जनता के सामने लानी चाहिए। आयुक्त का स्पष्टीकरण शिष्टमंडल से बातचीत में महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी ने बताया कि बारिश पंद्रह दिन पहले शुरू हो जाने से योजनाएं बाधित हुईं। नालेसफाई का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो सका है और मीठी नदी में गाद निकालने का कार्य भी ५५% तक ही हो पाया है। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि आने वाले ८ दिनों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जहां-जहां जलजमाव की स्थिति है, वहां २४ घंटे के भीतर पंप लगाए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर पंपों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

